

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:-119/2026

1 रजनीश पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी पीरकामडिया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम्

1. राधा देवी पत्नी जगदीश जाति जाट निवासीयान पीरकामडिया तहसील टिब्बी
2. मीनू पुत्री जगदीश जिला हनुमानगढ ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 19/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:-चक नं० 24 एनजीसी के खाता सं० 10/9 में अंकित प०न० 181/256 मु० 3 किलानं० 5/1/.228, 5/2/.025 है०, 0न० 182/256 मु० 4 किलानं० 2,3,8,9,10,12,13, 18,19, कुल 2.530 है० नहरी मय गै०मु० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चक न० चक नं० 24 एनजीसी के खातासं० 10/9 मे से हम प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार वादी का प्रतिवादी से खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।